न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा, जिला झाँसी।

परिवाद संख्या- 23/ 2021

शिशुपाल सिंह बनाम बृजेन्द्र कुमार

धारा- 138 एन. आई. एक्ट
थाना- गरौठा, जिला- झांसी।

दिनांक- 13. 12. 2022

पत्रावली आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। तलबी के बिन्दु पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है। प्रार्थी/ परिवादी द्वारा अन्तर्गत धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम का प्रार्थनापत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया , जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकृत किये जाने के पश्चात प्रार्थी द्वारा उक्त वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली पर संलग्न परिवाद पत्र के अनुसार परिवादी शिशुपाल सिंह पुत्र कालका प्रसाद को विपक्षी बृजेन्द्र कुमार तनय जानकी प्रसाद गुप्ता द्वारा दी गयी सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक शाखा गरौठा जिला झाँसी (उ०प्र०) की एक किता चैक संख्या- 537454 मु० 1,00,000/- (एक लाख रूपये) दिनांकित 25. 08. 2020 के बैंक मेमोरेण्डम के अनुसार Funds Insufficient की टिप्पणी के कारण अनादृत होने के संबंध में उक्त वाद दायर किया गया है।

परिवादी की ओर से धारा- 200 दं. प्र. सं. में स्वयं का शपथपत्र दाखिल किया है। परिवादी के परिवाद कथानक के अनुसार उक्त प्रकरण में अभियुक्त को दिनांक 30. 10. 2020 को जरिये पंजीकृत डाक नोटिस प्रेषित किया गया था जिसे अभियुक्त द्वारा दिनांक 02. 11. 2020 को तामील किया जाना अंकित है। उपरोक्त परिवाद दिनांक 19. 12. 2020 को न्यायालय में दायर किया गया है।

परिवादी द्वारा उक्त परिवाद पत्र के समर्थन में शपथपत्र, मूल चैक सं०- 537454 मु० 1,00,000/- (एक लाख रूपये) दिनांकित 25. 08. 2020 , अभियुक्त को दिये नोटिस की कार्बन प्रति, वैधानिक नोटिस की रजिस्ट्री रसीद की छायाप्रति, तामीला की प्रति consignment Number RU644113360lIN एवं बैंक द्वारा जारी रिटर्न मेमोरेण्डम की प्रति दाखिल किये गये हैं। ऐसी स्थिति में नोटिस प्रथम दृष्टया तामील है।

हस्तगत प्रकरण में विपक्षी ने परिवादी को सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक शाखा गरौठा जिला झाँसी (उ०प्र०) से संबंधित चैक सं०- 537454 मु० 1,00,000/- (एक लाख रूपये) दिनांकित 25. 08. 2020 को दिया, जो दिनाँक 06. 10. 2020 अनादृत होकर परिवादी को प्राप्त हुआ। उक्त के संबंध में परिवादी द्वारा विपक्षी को जरिये डाक दिनाँक 30. 10. 2020 को नोटिस प्रेषित किया एवं विपक्षी पर दिनाँक 02. 11. 2020 को तामील हुआ तथा परिवादी द्वारा विपक्षी के विरूद्ध दिनाँक 19. 12. 2020 को न्यायालय में परिवाद दाखिल किया गया।

प्रार्थनापत्र में वर्णित उपरोक्त तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से दर्शित है कि विपक्षी **बृजेन्द्र कुमार तनय जानकी प्रसाद गुप्ता** को अन्तर्गत धारा- 138 एन. आई. एक्ट में तलब करने के आधार प्रथम दृष्टया पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त **बृजेन्द्र कुमार तनय जानकी प्रसाद** को अन्तर्गत धारा- 138 एन. आई. एक्ट थाना- एरच, जिला- झांसी में विचारण हेतु जरिये सम्मन तलब किया जाता है। उपरोक्त चेक में वर्णित धनराशि मुबलिग 1,00,000/- (एक लाख रुपये) हैं। **प्रकरण के दृष्टिगत उचित होगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था मै० मोटर्स एण्ड इन्सट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड व अन्य बनाम कंचन मेहता (2018) 1 SCC 560 में दिये गये निर्देशों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी०एल० नं०- 1959/ एडमिन जी-2 दिनांकित 13. 07. 2018 के अनुक्रम में** सम्मन में धनराशि मुबलिग 1,00,000/- (एक लाख रुपये) अंकित करते हुए प्रेषित हो। यदि अभियुक्त चाहे तो परिवादी के खाते में उक्त धनराशि जमा कर उसकी सूचना न्यायालय को दे सकता है। परिवादी अपना खाता संख्या एवं आई०एफ०एस०सी० कोड अंकित करें।

पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्त दिनांक- 13. 01. 2023 को पेश हो।

परिवादी तीन दिन के अन्दर पैरवी करना सुनिश्चत करे।

(सुनील शेखर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गरौठा, झांसी।